संख्या-155/2017/783/26-3-2017-10(5)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 अक्टूबर, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059 के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन के परिसर में भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1061-63/स0क0/लेखा-बजट/वित्तीय स्वीकृति/2017-18, दिनांक-26.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2016 में दी गयी व्यवस्था के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059 के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन के परिसर में भवन के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-136.51 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रूपया-136.51 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात की कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आपकी होगी।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(iii) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(iv) आप यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों का द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(v) आप द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(vi) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(viii) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके।

(x) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-001- निदेशन तथा प्रशासन-03-समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन, लखनऊ के परिसर में कार्यालय भवन का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृसं0- 155/2017/783(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in